

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)426/1995/ए-1/दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/02/2019

पुलिस अधीक्षक
जिला-इन्दौर
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठाकन/निवासवृद्धि पाक नागरिको- श्री ब्रिजलाल पुत्र श्री सरवानंद 2. श्रीमती खिमियाबाई पत्नी श्री ब्रिजलाल निवासी जिला इंदौर।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2019(90/19,) दि.15.01.2019

—00—

पाक नागरिको श्री ब्रिजलाल पुत्र श्री सरवानंद 2. श्रीमती खिमियाबाई पत्नी श्री ब्रिजलाल को 90 दिन दि.02.05.2019 तक वापसी पृष्ठाकन स्वीकृत किया जाता है। पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

- 1 श्री ब्रिजलाल पुत्र श्री सरवानंद मूल पारपत्र क्रमांक KG-909639
- 2 श्रीमती खिमियाबाई पत्नी श्री ब्रिजलाल मूल पारपत्र क्रमांक DG-3999162

संलग्न: उपरोक्तानुसार

नोट:- पाक नागरिको श्री ब्रिजलाल के 15.05.2004 से 15.05.2016 तक एवं श्रीमती खिमियाबाई के दिनांक 16.09.2008 से 23.07.2016 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है। कृपया अपेक्षित प्रस्ताव यथाशीघ्र भिजवाये।

(डी.एस.मुकाती)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग
भोपाल, दिनांक 02/02/2019

क्रमांक एफ-3(ए)426/1995/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2019-20 (34)दि.31.01.2019,21.02.218 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 आवेदिका श्री ब्रिजलाल पुत्र श्री सरवानंद निवासी 310 दीप अपार्टमेन्ट 70 राजमहल कालोनी जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 3 सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेट करने हेतु।


अवर सचिव

म0प्र0शासन गृह (पारपत्र)विभाग